कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर

(विभागाध्यक्ष, "बी" ब्लॉक, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर)

क्रमांक/पंजीयन/2014/1418 नया रायपुर, दिनांक 14 /03/2014

प्रति,

01 संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं,
समस्त ....

02 उप/सहायक पंजीयक (समस्त)
सहकारी संस्थाएं,
जिला – ....

विषय :– सहकारी अकृषि साख संस्थाओं के पंजीयन हेतु दिशा निर्देश।

––00––

सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं के गठन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। स्वाभाविक है कि किसी भी सहकारी संस्था का गठन सदस्यों में गहरी सहकारिता की भावना तथा समन्वित आर्थिक सह सामाजिक विकास की आवश्यकता को लेकर होता है। किन्तु इसमें यदा कदा कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है जिनके आचरण की पृष्ठ भूमि एक सहकारी संस्था के लिए उपयुक्त नहीं होती है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्तियों का परिचय एवं पता ज्ञात करना भी कठिन है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शहरी क्षेत्र में गठित होने वाली विशेष कर सहकारी साख संस्थाएं एवं उपभोक्ता भण्डारों के प्रवर्तक तथा सामान्य सदस्यों की योग्यता, उपयुक्तता तथा आचरण के संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रारूप निर्धारित कर उक्त जानकारी शपथ पत्र सहित प्राप्त की जाये।

छ0ग0 राज्य में, साख सहकारी समिति एवं अन्य कुछ समितियों के विरूद्ध नियमों के विपरित अपने सदस्यों से अमानत प्राप्त करने, व्यापक रूप से अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जा कर नौकरी आदि का लालच दिया जा कर कार्य किया गया हैं ऐसी स्थिति में व्यापक रूप से किसी संस्था/विभाग/निगम या अन्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के अतिरिक्त साख सहकारी संस्थाओं का गठन किये जाने से सहकारिता की मूल भावना दूषित होने की संभावना निरंतर बनी रहती हैं।

अतएव नवीन साख सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजी./2012/8147 दिनांक 11/12/2012 को अधिक्रमित करते हुए निम्न मापदंड निर्धारित किये जाते है :–

(1) प्रस्तावित प्राथमिक सहकारी साख समिति का कार्यक्षेत्र राज्य स्तर का नही होगा अपितु नगरीय निकाय, विकास खण्ड या अधिकतम जिले तक सीमित होगा तथा वेतनभोगी कर्मचारियों के साख सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र उनके विभागीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र तक होगा।

(2) प्रस्तावित समिति का पंजीयन अद्यतन संशोधित अधिनियम, नियम तथा मुख्यालय/शासन से जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप हो।

(3) प्रस्तावित समिति की उपविधि आदर्श उपविधियों के अनुरूप हो। एक अंश की कीमत 500/– रूपये होगी तथा प्रवर्तक सदस्य संख्या 100 होगी। प्रस्तावित संस्था की प्रदत्त अंशपूंजी पंजीयन पूर्व न्यूनतम राशि 50,000 रूपये होगी तथा कम से कम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होगी।

(4) प्रवर्तक सदस्यों के बायोडाटा, टेलीफोन नंबर, एड्रेस प्रूफ, आई. डी. प्रूफ होना चाहिये। प्रवर्तक सदस्य यदि व्यवसायी हो तो दुकान की पंजीयन प्रमाण पत्र सेल्सटैक्स नंबर, टीन नंबर/पेन नंबर, आयकर रिटर्न, आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि की जानकारी संलग्न होना चाहिये।

(5) प्रस्तावित समिति यदि कर्मचारियों की समिति हो तो उक्त विभाग के कार्यालयीन प्रमुख की अनुशंसा आवश्यक होगी।

(6) पंजीयन के पूर्व कार्य व्यवसाय की योजना तैयार कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत अन्य समान उद्देश्य वाली समितियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ताकि विवाद की स्थिति निर्मित न हो तथा समितियां आर्थिक रूप से सक्षम हो।

(8) प्रस्तावित समिति के प्रवर्तक सदस्यों/सामान्य सदस्यों को सदस्यता के समय समान उद्देश्य वाली अन्य समितियों के सदस्य नहीं होने संबंधी शपथ पत्र तथा बायोडाटा फार्म में जानकारी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र सहित देना होगा।

(9) पंजीयन उपरांत भी कार्य योजना का समय–समय पर परीक्षण किया जावे। कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं करने पर अथवा निष्क्रिय (अकार्यशील) होने पर निर्धारित समयावधि में परिसमापन में लाई जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावें।

(10) संगठक का दायित्व होगा कि पंजीयन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व प्रवर्तक सदस्यों की बैठक कर सदस्यों का सत्यापन करे तथा बिन्दु क्रमांक 01 से लेकर 10 तक के पालन सुनिश्चित होने बाबत् प्रमाण पत्र पंजीयन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करें।

संलग्न :– शपथ पत्र का प्रारूप।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ0क्र0/पंजीयन/2014/ 1418 नया रायपुर, दिनांक :14/02/2014

प्रतिलिपि

समस्त कक्ष .... मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

-: <u>शपथ पत्र</u> :-

प्रपत्र 'अ'
प्रवर्तकों के जीवनवृत के लिये प्रोफार्मा

फोटोग्राफ

01	पूरा नाम	:- ....
02	जन्म तिथि तथा आयु (प्रमाण पत्र संलग्न)	:- ....
03	पता	:- मोबाइल नंबर ....
(क)	कार्यालय	:- ....
(ख)	निवास	:- ....
(ग)	पते के प्रमाणीकरण स्वरूप, राशनकार्ड /	:- ....
	ड्राइविंग लाइसेंस / बैंक खाता	:- ....
	मतदाता फोटो परिचय / संपत्तिकर	:- ....
	बिजलीकर / जलकर की रसीदें में से किसी	:- ....
	एक की सत्यापित प्रति संलग्न की जायें।	
04	शैक्षणिक योग्यता / अर्हता	:- ....
05	व्यवसाय / आजीविका	:- ....
06	किसी सहकारी संस्था या अन्य व्यवसाय संबंधी अनुभव का विवरण	:- ....
07	सहकारिता तथा अन्य क्षेत्रों संबंधी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरा दें	:- ....
08	क्या आप अन्य सहकारी समिति / बैक के उधारकर्ता या किसी अन्य उधारकर्ता के जमानतदार के रूप में चुकौती की बाबत् चूककर्ता है।	:- ....

मैं एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी सम्पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूं कि सहकारी समितियां अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (या प्रस्तावित उपनियमों) में निर्दिष्ट ऐसी कोई भी अयोग्यता मुझमें नहीं है जो मुझे सहकारी समिति की प्रबंध समिति का सदस्य बनाये के अयोग्य ठहराती / रोकती है।

स्थान :- ....

हस्ताक्षर

दिनांक :- ....

निम्न प्रकरण के व्यक्तियों को प्रर्वतकों के रूप में अयोग्य समझा जायेगा।

01 यदि यह प्रस्तावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास न करता हो या लाभकारी आजीविक व्यवसाय में न लगा हो।

02 यदि उसे दोषी या नैतिक या चरित्रहीनता आदि सहित अपराधी ठहराया हो।

03 यदि वह प्रस्तावित संस्था के प्रतियोगी व्यवसाय या के हितों के प्रतिकूल व्यवसाय में लगा हो।

04 यदि वह दिवालिया घोषित हुआ है / करार दिया गया हो या विधिक रूप से प्रस्तावित संस्था के सदस्य होनें / बने रहने के आयोग्य करार दिया गया हो।